

अंचल कार्यालय, मेहरमा (गोड्डा)

आदेश-फलक

अभिलेख संख्या-

80/2016-17

वाद का प्रकार-

सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त जमाबंदी को रद्द/संशोधन करने संबंधी

सरकारी भूमि बंदोबस्त रैयत का नाम-

गिरिजा प्रो. देवि

पिता/पति-

निलयानंद मंडल

मौजा

अमौर

थाना नम्बर- 13

अंचल- मेहरमा

जमाबंदी नम्बर-

84
4

दाग नम्बर- —

रकवा-

02-05-0145
0.942870

तिथि	आदेश	संख्या
19.10.16	<p>मुख्य सचिव, झारखंड सरकार, राँची (राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग) के पत्रांक 2074/रठ दिनांक 13.05.2016 एवं भूमि सुधार उपसमार्हता, गोड्डा के पत्रांक 264/भूखु गोड्डा दिनांक 18.05.2016 एवं अपर समार्हता, गोड्डा के पत्रांक 1109/रठ दिनांक 26.08.2016 के द्वारा सरकारी भूमि को अवैध रूप से कब्जा करने के उद्देश्य से सरकारी भूमि का कराए गए अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती को अभियान चला कर बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा- 4 (h) के तहत विधिवत सुनवाई करते हुए रद्द करने का आदेश प्राप्त हुआ है। इस कार्यालय के ज्ञापांक 466/रठ दिनांक 22.06.2016 एवं ज्ञापांक 688/रठ दिनांक 07.09.2016 के द्वारा संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से सरकारी भूमि का अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्ती से संबंधित मौजावार/हल्कारवार भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन की मांग की गई।</p> <p>उक्त के आलोक में संबंधित हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन सह भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में सरकारी भूमि के अवैध/संदेहास्पद बंदोबस्त रैयत <u>गिरिजा प्रो. देवि</u> पिता/पति <u>निलयानंद मंडल</u> मौजा- <u>अमौर</u> को उनके दावे से संबंधित सभी प्रमाण/कागजात के साथ दिनांक <u>28.10.16</u> को अपना पक्ष रखने हेतु नोटिस निर्गत करें।</p>	
	<p>लेखापिता।</p> <p>19.10.16</p> <p>अंचल अधिकारी मेहरमा।</p>	
	<p>19.10.16</p> <p>अंचल अधिकारी मेहरमा।</p>	

28-10-16

अभिलेख उपस्थापित / दावेदारों में वृद्ध अभिलेख
दिनांक 03-11-16 को उपस्थापित करें।
संस्थापित

अभि
मेरम

अंश
मेरम

23/8/23

अभिलेख उपस्थापित के विवादगत
प्रस्ताव पर आपने दावा से संबंधित
बैध दस्तावेज के साथ उपस्थापित
रखने से वकीलसद्वारा को नोटिस
मिगित करें।

अभिलेख दिनांक 8/9/2023 को रखें

अंश
मेरम

8/9/2023

अभिलेख उपस्थापित। बन्दोवस्तदार
 उपस्थापित। बन्दोवस्तदार द्वारा भौगा भौगा
 भागा नं 13 खाता संख्या 84 सैसरा
 नं 146 रकवा 1-15-00 धूर ख
 दगा नं 342 के अन्दर रकवा 8-10-01
 धूर के बन्दोवस्ती से संबंधित कागजात
 संग्रहित किया गया। कागजातों का
 अवलोकन किया। The Add नं D-I J.P
 OC CRPF लखनऊ के आलेख में
 अपर समाप्त गौडा के पत्रिक 425 रा
 दिनांक 14/8/96 के अनुपालन में
 अंचलाधिकारी प्रेषणा पत्रिक 362 रा 0
 दिनांक 9/08/96 से उपरोक्त प्रतिवेदन
 प्रखण्ड के बन्दोवस्ती का प्रस्ताव अनु
 पदाधिकारी गौडा को भेजा गया।
 अनुपालन पदाधिकारी गौडा के अध्यक्षता में
 सेटलमेंट केवा नं 10/96-97 से सैनिक
 नामक गिरीस प्रसाद के साथ भौगा
 अर्थात् भागा नं 13 खाता संख्या 84
 सैसरा नं 146 रकवा 1-15-00 धूर
 ख उसी भौगा में दगा नं 342 के अन्दर
 रकवा 08-10-01 धूर के बन्दोवस्ती को
 स्वीकृत किया गया। सैनिक के द्वारा
 तब से प्रतिवेदन प्रखण्ड का लगान भेजा
 किया गया है। अंचल पत्रिका से मिलान
 किया सभी पत्रिका। प्रतिवेदन प्रखण्ड पर
 सैनिक का खर्च काठमा है।

अतः वाक की कार्रवाई

समाप्त की जाती है।

लेखापति
 अंचल अधिकारी -
 प्रेषणा

अंचल अधिकारी -
 प्रेषणा